कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 5291/नातौ/अ–1/एफ–372/2004, भोपाल दिनांक 10.11.2004

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
एवं निरीक्षक नाप तौल, म.प्र.

विषयः– पेट्रोल/डीजल पम्पों के टेम्पर प्रूफ सीलिंग एवं टोटलाइजर के संबंध में।

विषयान्तर्गत पेट्रोल/डीजल पम्पों के टेम्पर प्रूफ सीलिंग एवं टोटलाइजर सीलिंग करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है, जिनका पालन अविलंब सुनिश्चित किया जावें :–

1 गिलबारको एमपीडी

बीसी–3

मीटरिंग यूनिट :–	इस मॉडल की मीटरिंग यूनिट में पूर्व से चली आ रही सीलिंग की प्रक्रिया यथावत् रखी जावें।
टोटलाइजर यूनिट :–	इस मॉडल की टोटलाइजर यूनिट में पूर्व से चली आ रही सीलिंग की प्रक्रिया यथावत् रखी जावें।
पल्सर यूनिट :–	पल्सर रजिस्टर एसेम्बली का अभिन्न अंग होने व टोटलाइजर यूनिट से जुड़े होने के कारण इसे भी अनिवार्यतः सील किया जावे। पल्सर यूनिट एवं ड्राईव गीयर प्रणाली को सील करने के लिए आयल कंपनी पारदर्शी प्लास्टिक अथवा धा तु की चादर से निर्मित कैप लगाने की व्यवस्था करें ताकि टोटलाइजर के साथ–साथ पल्सर को भी अनिवार्यतः सील किया जा सके। नई व्यवस्था होने तक पल्सर से ऊपर निकले हुए नट एवं बोल्ट को तार पिरोकर सील किया जावे।

2 मिडको–980सी

मीटरिंग यूनिट :–	इस मॉडल में मीटरिंग यूनिट में पूर्व से चली आ रही सीलिंग प्रक्रिया को यथावत रखा जावें।
टोटलाइजर सह पल्सर यूनिट :–	इस मॉडल में टोटलाइजर सह पल्सर यूनिट में पूर्व से चली आ रही सीलिंग की प्रक्रिया यथावत् रखी जावे।
3 एल एण्ड टी जेड लाईन जीएस–71324	
मटरिंग यूनिट :–	इसकी सीलिंग प्रक्रिया पूर्ववत ही जारी रखी जावे, इसके साथ ही साथ सीलिंग वायर को टॉप ड्राइव कव्हर से भी निकाल कर सील करना सुनिश्चित किया जावे, ताकि सीलिंग प्रक्रिया पूर्णतः दोष रहित रहे।
टोटलाइजर यूनिट :–	इसकी सीलिंग प्रक्रिया को भी पूर्णवत जारी रखा जावे।
पल्सर यूनिट :–	यह भाग अभी सील नहीं किया जा रहा है किंतु इसे अब अविलंब ढकने वाली प्लेट (कव्हर प्लेट) को सील करना प्रारंभ किया जावे, ताकि पल्सर यूनिट की सील भी दोष रहित रहे।
4 एपलेब–ईएई–एसएल/एच एल–2	
मीटरिंग यूनिट सह पल्सर यूनिट :–	इसकी सीलिंग सिस्टम को यथावत रखा जावे। किंतु इसके साथ ही मीटरिंग यूनिट के साथ–साथ पल्सर यूनिट के टाप कव्हर में परिवर्तन कर इसमें से तार निकाल कर मीटरिक यूनिट को सील किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
टोटलाइजर यूनिट :–	इस प्रक्रिया को भी पूर्ववत जारी रखा जावे।
5 न्यूव्हो पिगनोन–एमपीडी	

<u>मीटरिंग यूनिट :–</u>	इस प्रक्रिया को भी पूर्ववत जारी रखा जावे।
<u>टोटलाइजर सह</u> <u>पल्सर यूनिट :–</u>	इन दोनों यूनिटों को एक ही सिलिंग वायर से सील किया जावे।
<u>कोलिब्रेशन यूनिट :–</u>	इस यूनिट को सील करने के लिए इसके चारों कोने पर स्थित बोल्ट से तार डालते हुए मध्यम में स्थित केलिब्रेशन स्वीच को भी सील किया जावें।

उपरोक्त सीलिंग प्रक्रिया में जो वायर उपयोग किया जावे उसे चौकोर लेड सील के साथ मजबूती के साथ कम से कम अंतर रखते हुए सील किया जावे, ताकि सीलिंग वायर ढीला न पड़ सके।

डिस्पेंसिंग पंप के माडल में परिवर्तन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जावे कि उपरोक्तानुसार मीटरिंग यूनिट, टोटलाइजर यूनिट एवं पल्सर के सेन्सर बाक्स केलिब्रेशन यूनिट इस तरह से सील किये जावें कि उक्त यूनिटों के नट एवं बोल्ट बिना सील तोड़े न खोले जा सकें।

उक्त निर्देशों का अविलंब पालन सुनिश्चित किया जावे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य मानी जावेगी। पूर्व से सत्यापित एवं सील किये गये डिस्पेंसिंग पंपों में जहां–जहां अतिरिक्त सीलिंग की जाना है वह पत्र प्राप्ति से 15 दिवस में की जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे। अतिरिक्त सीलिंग के लिये शुल्क नहीं लिया जावे। इस अतिरिक्त सत्यापन से पूर्व में किये गये सत्यापन की समयावधि अपरिवर्तित रहेगी एवं कोई पृथक से सत्यापन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा। अगला सत्यापन पूर्व से नियत काल की समाप्ति पश्चात निर्धारित शुल्क लेकर किया जावे।

संलग्न :– फोटो ग्राफ की प्रति,

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 5291 / नातौ / अ–1 / एफ–372 / 04 भोपाल, दिनांक 10.11.04

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, ,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सह संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. स्टेट लेवल को आर्डिनेटर आयल कंपनीज भोपाल।
4. समस्त आयल कंपनीज (एचपीसी, बीपीसी, आयओसी, आयबीपी)।
5. अध्यक्ष म.प्र. फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन इंदौर।
6. भोपाल पेट्रोलियम मल्टीपरपज डीलर एसोसिएशन भोपाल।
7. महाकौशल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन–625 शानित नगर, दमोह नाका, जबलपुर।
8. समस्त पेट्रोलियम डीलर्स ....म.प्र. (द्वारा निरीक्षक नाप–तौल)

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल

एप लेब ई.ए.ई.

टोटेलाईजर

टोटलाईजर के नट बोल्ट छिद्र वाले है इन्ही में से तार डाल कर सीलिंग की जाये।

पल्सर

पल्सर के वर्तमान में लग रहे नटों के स्थान पर छिद्र वाले नट लगवा कर तार चारों नटस् में डाल कर सील किया जाये।

मिटरींग यूनिट

मिटरींग यूनिट में सीलींग यथावत रखी जावे दोनों नटों में तार डाल कर सील किया जाये।

गिलबार्को – एम.पी.डी.

इस पल्सर व टोटेलाईजर में प्लास्टिक की केप लगाई जायेगी एवं इसके पश्चात् नट व बोल्ट से केप को कसा जायेगा ये नट बोल्ट छिद्र वाले होंगे जिनमें तार डाल कर लेड स सहील किया जावेगा

इस टोटेलाईजर को जो पल्सर के नीचे है उपरोक्त प्लास्टिक की केप मे ही इसका बोल्ट नट लगा रहे एवं उपरोक्त चित्र के अनुसार लेड वायर से सील किया जाये सील का तार टाईट हो।

मिटरिंग यूनिट की सील यथावत या पूर्व अनुसार होगी जिससे सील तोडे बिना मीटर यूनिट स्थान से निकाला न जा सके।

एल.एण्ड.टी. झेड लाइन

इसकी सीलींग प्रक्रिया पूर्ववत रखी जावे सील का तार क्रमांक 1 व 2 को संयुक्त रूप से सील किया जाये।

सील प्रक्रिया पूर्ववत रखी जाये यदि वोल्ट नट से कसे गये हो तो बोल्ट में नीचे छिद्र कराया जाये जिससे बोल्ट बिना सील तोडे ने खोले जा सके।

पल्सर में छिद्र वाले चारो नट/बोल्ट लगवा कर सीलींग की जाये।

न्यूव्हो पिगनोन

केलिब्रेशन युनिट इसमें तीरो से चिन्हाकित समस्त 1,2,3,4 चारों नटों एवं केलिब्रेशन स्वीच (क्रमांक 5) को एक ही तार को पिरोते हुये सील किया जावे।

मिटरींग/पल्सर युनिट

पल्सर मिटरींग युनिट पल्सर एवं मिटरींग यूनिट (क्रं. 1 एवं 2) में छिद्रीत नट/बोल्ट में तार डाल कर सील किया जाये।

डिस्पले/टोटेलाईजर

चारों नटों के छिद्रों में तार डालें व क्रास बनाते हुए सील करें।

मिडको – 980 – सी

मीटरिंग यूनिट में पूर्व अनुसार सील लगाई जावेगी।

पल्सर एवं टोटेलाईजर को कवर के साथ नट एवं बोल्ट जो छिद्र वाले होंगे पर इस तरह से सील किया जाये की नट/बोल्ट बिना सील तोडे न खोलो जा सके। इस प्रकार कवर के चारों नटों को तार से सील करा जाये।